

Office of the Principal, Govt.S.K. College, Mauganj, Distt.-Rewa (M.P.)
कार्यालय प्राचार्य शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज रीवा (म.प्र.)
e-mail ID: hegskpgcmaurew@mp.gov.in, www.mpcollege.nic.in/pgcmauganj/ Mob.No.- 9425144391,
(Accredited "C" Grade with 1.94 CGPA by NAAC)

प.क0 836/2022

मऊगंज, दिनांक 10/09/2022

प्रपत्र

13.09.2022

निविदा भेजने की अंतिम तिथि- 20.10.2022

प्रति,

.....
.....
.....

विषय:- महाविद्यालय के ग्रंथालय हेतु सत्र 2022-23 में पुस्तकों के कय बावत।

क.	विदेशी पुस्तकें	भारतीय मुद्रा में परिवर्तन की दर	कटौती की दर
1	पौंड		
2	डॉलर		
3	अन्य विदेशी मुद्रा		

क.	भारतीय पुस्तकें	कटौती की दर
1	विभिन्न विषयों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें	
2	उपन्यास- हिन्दी, अंग्रेजी	
3	संदर्भ ग्रंथ	
4	स्वतः के प्रकाशन	
5	अधिकृत प्रकाशकों की पुस्तको पर (प्रकाशकों) की सूची एवं दर का स्पष्ट विवरण देवें) अधिकार पत्र संलग्न करें।	
6	शासकीय प्रकाशक एवं शासकीय नियमों से संबंधित पुस्तकें	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदा की नियम व शर्तें-

महाविद्यालय के ग्रंथालय के लिए उपयोगार्थ पुस्तकें क्रय करने हेतु निविदा के नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं-

1. निविदा निर्धारित प्रोफार्म में सीलबंद लिफाफे में ही भरकर भेजे तथा लिफाफे के ऊपर "पुस्तक क्रय हेतु" निविदा अवश्य अंकित करें।
2. निविदा के साथ 10000/- (दस हजार रुपये) का बैंक ड्रॉपट/बैंकर चेक जो प्राचार्य, शास. शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज रीवा (म.प्र.) के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ धाही गई राशि का बैंक ड्रॉपट/बैंकर चेक संलग्न नहीं करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में किसी भी प्रकार का सामान्य बैंक स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. दिये गये प्रपत्र को फर्म/कंपनी के लैटर हेड पर ही टाइप कर भेजना होगा, हस्त लिखित प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
6. पुस्तकों के क्रय आदेश की पूर्ति समय सीमा में अनिवार्य रूप से करनी होगी, अथवा अन्य शर्तों का पालन न होने पर धरोहर राशि महाविद्यालय द्वारा राजसात की जा सकती है एवं देयक की कोई भी पुस्तक शेष होने पर देयकों का भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. पुस्तकें क्रय आदेश के अनुसार नवीन संस्करण की होनी चाहिये अन्यथा आपको आपके खर्च पर ही पुस्तकें वापिस भेज दी जायेगी।
8. पुस्तकें एक साथ समग्र रूप से उपलब्ध कराने पर ही देयक पारित किया जावेगा।
9. पुस्तकें प्रदायकर्ता सुनिश्चित करे कि पुस्तकें एफ.ओ.आर. मऊगंज, महाविद्यालय होगा।
10. पुस्तकों पर अंकित मूल्य ही मान्य होगा, मुद्रित न होने पर प्राइज प्रूफ देना अनिवार्य होगा, अंकित मूल्य पर स्लिप चिपकाकर या काटकर किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा।
11. जी.एस.टी.के अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स देय नहीं होगा।
12. भाव पत्र में आपकी फर्म/दुकान का पता, भौगोलिक स्थिति, टेलीफोन नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं एस.सी./सीएसटी नंबर आवश्यकतानुसार लिखा होना चाहिए साथ ही निविदा प्रेषित करने वाले का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की एवं उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है।
13. पुस्तकों के क्रय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेंगे एवं प्राचार्य का निर्णय सर्वमान्य होगा। न्यायालयीन कार्यक्षेत्र मऊगंज होगा। आपके भावपत्र 31 मार्च 2023 तक मान्य रहेंगे।
14. अन्य कोई शर्तें यदि हो तो भावपत्र के साथ स्पष्ट रूप से संलग्न करें।
15. किसी भी प्रकार के व्यय राशि को स्पष्ट लिखें।
16. निविदा महाविद्यालय में दिनांक 20.10.2022 दिन गुरुवार तक कार्यालयीन समय शाम 05 बजे तक डाक अथवा कुरियर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। लिफाफे के ऊपर पुस्तकालय हेतु निविदा लाल स्याही से अंकित करें।
17. शासन द्वारा राशि आवंटित होने पर ही पुस्तकों के क्रय का भुगतान किया जा सकेगा।


अध्यक्ष


प्राचार्य

शासकीय एस.के. महाविद्यालय,
मऊगंज जिला-रीवा (म०प्र०)

प्रतिलिपि-

837/22.

दिनांक - 13.09.2022

1. आई.टी.सेल प्रभारी उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।


प्राचार्य

शासकीय एस.के. महाविद्यालय,
मऊगंज जिला-रीवा (म०प्र०)